

राजपत्रित हकदारी के बारे में

राजपत्रित राजपत्रित हकदारी के कार्यों के संबंध में

मेघालय के राजपत्रित अधिकारियों को स्वीकार्य वेतन और भत्ते, मौलिक नियम एवं अनुपूरक नियम; वेतन पुनरीक्षण (मेघालय सरकार) के नियमों और विनियमों ; मेघालय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित विभाग के सेवा/सेवा नियमों की शर्तों के अनुसार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार के द्वारा जारी वेतन पर्ची के माध्यम से विनियमित/प्राधिकृत किए जाते हैं।

हकदारी अभिलेखों का अनुरक्षण करना

- असम और मेघालय कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारी (मूल रूप से मेघालय खंड/क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के अभिलेख)
- मेघालय सरकार के सभी स्व-आहरण अधिकारियों।
- स्व-आहरण अधिकारियों को वेतन पर्ची, छुट्टी वेतन प्राधिकार और अन्य प्राधिकार जारी करना।
- स्वयं आहरण अवधि के लिए अधिकारियों की सेवा और वेतन विवरण का सत्यापन एवं पेंशन को अंतिम रूप देने/ पूरा करने के लिए पेंशन शाखा को पेंशन सूचना विवरण भेजना ।
- स्व-आहरण अधिकारियों की सेवा की इतिवृत्त एवं छुट्टी खातों/ लेखों का अनुरक्षण।
- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों (ए.आई.एस) एवं स्व-आहरण अधिकारियों (एस.डी.ओ) के सभी सेवाओं से संबंधित मामले ।

संदर्भ हेतु पुस्तकें:

- अखिल भारतीय सेवा नियमावली।
- राजपत्रित नियमावली
- मौलिक नियम एवं अनुपूरक नियम ।
- सामान्य वित्तीय नियम।